अध्याय-I

परिचय

अध्याय - I
परिचय

भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गरीबों एवं निराश्रितों को विशेष रूप से लक्षित करते हुए राज्य को अपने साधनों के भीतर कल्याणकारी उपाय करने का आदेश देते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य की आर्थिक क्षमता की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी व अक्षमता के मामले में राज्य को अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। 'सामाजिक सुरक्षा' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 23 व 24 के अंतर्गत आती है।

1.1 हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का अवलोकन

भारत सरकार ने निराश्रितों को लक्ष्य करते हुए पूर्ण-रूपेण वित्तपोषित केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का शुभारम्भ (अगस्त 1995) किया। वर्ष 2007 व 2009 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) सभी पात्र व्यक्तियों तथा अधिक कमजोर समूहों जैसे विधवाओं एवं विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया गया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में इसके घटकों के रूप में पांच उप-योजनाएं शामिल हैं। इनमें से तीन पेंशन योजनाएं हैं (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, एवं (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना। अन्य दो उप-योजनाएं (i) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना[1] एवं (ii) अन्नपूर्णा योजना[2] पेंशन योजना नहीं है।

राज्य में दो राज्य प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं अर्थात् वृद्धावस्था पेंशन एवं दिव्यांग राहत भत्ता नवंबर 1971 से राज्य में कार्यान्वित की जा रही थी। तत्पश्चात अप्रैल 1986, अप्रैल 1994 व अप्रैल 2017 में हिमाचल प्रदेश में तीन अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं अर्थात् विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन योजना, कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता तथा ट्रांसजेंडर पेंशन शुरू की गईं।

इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश आठ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है (भारत सरकार की योजनाएं: तीन व राज्य की योजनाएं: पांच)। इन योजनाओं को अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मामलों और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय (इएसओएमएसए) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसार इन योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

केन्द्रीय स्तर पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर समग्र नियंत्रण रखता है। राज्य में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सभी पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मामलों और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय (इएसओएमएसए) के पास

---

1 कमाने वाले की मृत्यु की स्थिति में शोक संतप्त परिवार को एकमुश्त सहायता

2 पात्र वृद्ध व्यक्तियों, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, को खाद्य सुरक्षा

निहित है। निदेशालय (इएसओएमएसए), हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। निदेशक, इएसओएमएसए को निदेशालय स्तर पर दो संयुक्त निदेशकों, एक सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) तथा एक जिला कल्याण अधिकारी एवं जिला स्तर पर 12 जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जिला स्तर पर जिला कल्याण अधिकारी तहसील स्तर पर कार्य करने वाले तहसील कल्याण अधिकारियों की सहायता से विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं। निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा नीचे दिखाया गया है:

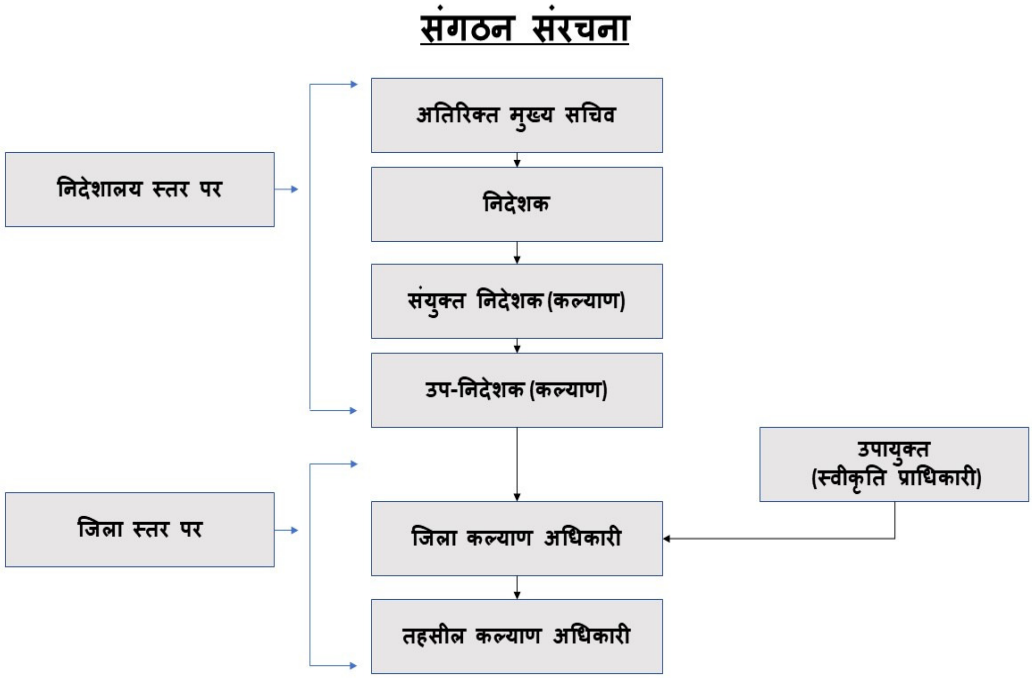

1.3 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देश, 2014 (संशोधित) एवं हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 के अनुसार मार्च 2021 तक विभिन्न पेंशन योजनाओं हेतु पात्रता मानदंड तथा सहायता का स्तर नीचे **तालिका-1.1** में दिया गया हैं:

तालिका-1.1: मार्च 2021 तक हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पात्रता मानदंड एवं सहायता का स्तर

योजना	पात्रता	मार्च 2021 तक सहायता का स्तर
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	श्रेणी - बीपीएल पात्र आयु - 60 वर्ष व अधिक (80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति बढ़ी हुई पेंशन के लिए पात्र हैं)	60-69 वर्ष- ₹ 850 (भारत सरकार का अंश- ₹ 200) 70-79 वर्ष - ₹ 1500 (भारत सरकार का अंश- ₹ 200) 80 वर्ष व अधिक -- ₹ 1500 (भारत सरकार का अंश- ₹ 500)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	श्रेणी - बीपीएल पात्र आयु - 40 वर्ष व अधिक	₹ 1000 (भारत सरकार का अंश-- ₹ 300) 80 वर्ष व अधिक -- ₹ 1500 (भारत सरकार का अंश - ₹ 500)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना	श्रेणी - बीपीएल पात्र आयु - 18 वर्ष व अधिक निःशक्तता - गंभीर निःशक्तता अर्थात विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 56(4) के अनुसार 80 *प्रतिशत* या अधिक	₹ 1500 (भारत सरकार का अंश - ₹ 300) 80 वर्ष व अधिक - ₹ 1500 (भारत सरकार का अंश - ₹ 500)
वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य योजना)	पात्र आयु - 60 वर्ष व अधिक आय मानदंड - पारिवारिक आय ₹ 35,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (70 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति आय मानदंड के बावजूद बढ़ी हुई पेंशन के लिए पात्र हैं)	60 - 69 वर्ष-- ₹ 850 70 वर्ष व अधिक -- ₹ 1500
विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी के लिए पेंशन योजना (राज्य योजना)	पात्र आयु - एकल नारियों हेतु 45 वर्ष एवं विधवा/परित्यक्ता नारियों हेतु कोई आयु सीमा नहीं आय मानदंड - पारिवारिक आय ₹ 35,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए	₹ 1000 70 वर्ष व अधिक -- ₹ 1500
दिव्यांग राहत भत्ता (राज्य योजना)	आय मानदंड - पारिवारिक आय ₹35,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए दिव्यांगता - 40 *प्रतिशत* व अधिक (70 *प्रतिशत* से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति आय मानदंड के बावजूद बढ़ी हुई पेंशन के लिए पात्र हैं)	40 से 69 *प्रतिशत* दिव्यांगता -- ₹ 1000 70 *प्रतिशत* दिव्यांगता व अधिक -- ₹ 1500
कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता (राज्य योजना)	पात्र आयु - कोई आयु सीमा नहीं आय मानदंड - कोई आय मानदंड नहीं	₹ 850
ट्रांसजेंडर पेंशन (राज्य योजना)	पात्र आयु - कोई आयु सीमा नहीं आय मानदंड - कोई आय मानदंड नहीं (राज्य/जिला स्तर के मेडिकल बोर्ड से मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी)	₹ 850

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत प्रारंभ से दी गई सहायता राशि का विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पिछली तिमाही में पेंशन स्वीकृति हेतु लम्बित आवेदकों की संख्या एवं निधियों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कवरेज के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। मार्च 2021 तक उपरोक्त आठ योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार लक्ष्य एवं लाभार्थियों के कवरेज का विवरण नीचे **तालिका-1.2** में वर्णित है:

तालिका-1.2: मार्च 2021 तक हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत योजना-वार लक्ष्य एवं लाभार्थियों का कवरेज

योजना का नाम	लक्ष्य	जनवरी-मार्च 2021 तिमाही हेतु कवरेज (सक्रिय लाभार्थी)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	100722	98601
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	24008	23715
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना	1118	1080
वृद्धावस्था पेंशन योजना	290194	285588
विधवा / परित्यक्ता / अविवाहित नारियों के लिए पेंशन योजना	96903	95970
दिव्यांग राहत भत्ता	63027	62499
कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता	1482	1001
ट्रांसजेंडर पेंशन	150	03
योग:	**577604**	**568457**

1.4 लाभार्थियों की पहचान

ग्राम पंचायतों/ नगरपालिकाओं द्वारा ग्राम/वार्ड सभा की बैठकों में लाभार्थियों की पहचान की जाती है तथा संभावित लाभार्थियों के आवेदनों पर प्रक्रिया करने के लिए तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत/प्रेषित किया जाता है। आवेदनों को तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में विभागीय पदाधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् पात्र आवेदकों का विवरण **ई-कल्याण** नामक सॉफ्टवेयर/सिस्टम पर अपलोड किया जाता है। सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था एवं अक्टूबर 2008 में क्लाइंट-सर्वर सॉफ्टवेयर के रूप में कार्यात्मक बनाया गया था (नेटवर्क अभिगम्यता किए बिना प्रत्येक जिला कल्याण अधिकारी के व्यक्तिगत कंप्यूटर (कम्प्यूटरों) पर होस्ट किया गया)। अक्टूबर 2020 में ई-कल्याण सॉफ्टवेयर को एक एकीकृत वेब-आधारित एप्लिकेशन में संशोधित किया गया था (एप्लिकेशन को इंटरनेट पर होस्ट किया जाता है; तहसील व जिला कल्याण कार्यालयों में विभिन्न स्तरों पर विभागीय पदाधिकारियों को उपयोगकर्ता तक अभिगम्यता प्रदान किया जाता है)। एक बार आवेदक का विवरण ई-कल्याण में दर्ज हो जाने के बाद जिला कल्याण अधिकारी द्वारा जांच एवं अनुमोदनोपरांत आवेदक को प्रतीक्षा-सूची में जोड़ा जाता है। रिक्ति सृजित होने पर आवेदक को सक्रिय पेंशनभोगी-सूची में जोड़ा जाता है। सॉफ्टवेयर को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर आवेदकों की प्राथमिकता स्वचालित रूप से तय करने के लिए प्रोग्राम किया गया है **(परिशिष्ट-2)**। सामाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधित उपायुक्त एवं अन्य नामित अधिकारी द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में स्वीकृत की जाती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पहचान, अनुमोदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया को नीचे दर्शाया गया है:

फ्लो चार्ट– नए लाभार्थी को जोड़ना

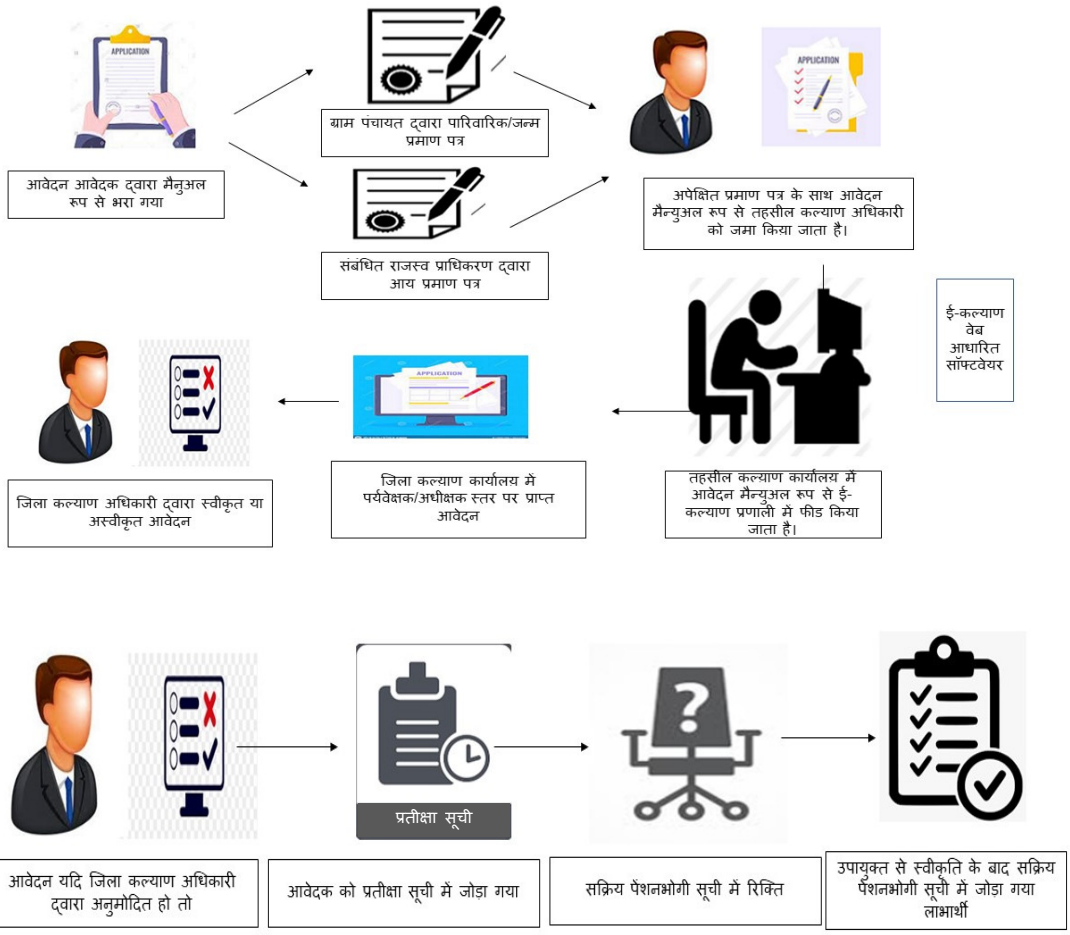

1.5 संवितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली

पेंशन स्वीकृत होने के बाद लाभार्थियों को त्रैमासिक आधार पर (राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में अर्धवार्षिक आधार पर) पेंशन का वितरण किया जाता है। पेंशन सीधे लाभार्थियों के डाक/बैंक बचत खातों में वितरित की जाती है। राज्य सरकार ने 1 जून 2017 को डाक विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया था जिसके अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण लाभार्थियों के डाक बचत खाते में किया जाना है। इसके अतिरिक्त डाक अधिकारियों को 80 वर्ष व उससे अधिक आयु के सभी पेंशनभोगियों अथवा 70 *प्रतिशत* से अधिक की दिव्यांगता के पेंशनभोगियों के पेंशन की घर पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करनी है। साथ ही डाक विभाग के क्षेत्र अधिकारी भौतिक सत्यापन पर या अन्य किसी माध्यम से विभाग को विधवा लाभार्थियों के पुनर्विवाह, पेंशनभोगी की मृत्यु, लाभार्थी को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने आदि के बारे में सूचित करेंगे। इन सेवाओं के लिए डाक प्राधिकारियों को वितरित वास्तविक पेंशन का 1.5 *प्रतिशत* कमीशन दिया जाता है। बैंकिंग प्रणाली के साथ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

अक्टूबर 2020 से केवल राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत योजनाओं हेतु सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से भुगतान शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के संबंध में ई-कल्याण से निकाले गए लाभार्थियों की सूची को मैनुअल रूप से पीएफएमएस के साथ संगत मोड में परिवर्तित किया जाता है तथा लाभार्थियों के खाता संख्या के सत्यापन के बाद निदेशालय के योजनावार नोडल बैंक खातों से

पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भुगतान किया जाता है। हालांकि, ई-कल्याण एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पोर्टल के मध्य कोई लिंक नहीं है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का वितरण मॉड्यूल व ई-कल्याण में स्वतः पावती पुश (लाभार्थी के खाते में लाभ जमा करने की पुष्टि) नहीं है।

राज्य की योजनाओं हेतु समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के माध्यम से बिल तैयार करके कोषागार से निधियां आहरित की जाती है तथा जिला कल्याण अधिकारी के बैंक खाते में जमा की जाती है। तत्पश्चात ई-कल्याण से निकाली गई सूची के अनुसार लाभार्थियों के खातों में जमा करने के लिए जिला कल्याण अधिकारी द्वारा चेक के माध्यम से डाक कार्यालयों/बैंकों को निधियां भेजी जाती हैं। हालांकि ई-कल्याण, आईएफएमएस व लाभार्थियों के खातों के मध्य इंटरफेस का कोई स्वचालन नहीं है। साथ ही, पात्र लाभार्थी के खातों में लाभांतरण की पुष्टि के संबंध में पावती स्वचालित रूप से ई-कल्याण पर पुनः प्रेषित नहीं की जाती। पेंशन के संवितरण की प्रक्रिया (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम: 22 *प्रतिशत* व राज्य योजनाएं; 78 *प्रतिशत*) को नीचे दिए गए आरेख में दर्शाया गया है: